



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CK 322116

वैष्णव माता महाविद्यालय पन्ना (म.प्र.)

तथा

पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस छात्रशाला शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना (म.प्र.)
के मध्य समझौता ज्ञापन

उद्देश्य—

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थाओं के मध्य विशेषज्ञताओं का आदान-प्रदान करना तथा शैक्षणिक गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

सहयोग के क्षेत्र—

दोनों संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले व्याख्यान, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, विमर्श आदि ऑनलाइन कार्यक्रमों का साझा आयोजन तथा रणनीति सहयोग करना।

दोनों संस्थानों में संचालित किए जा रहे स्नातक तथा परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में अपने विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए साझा रणनीति तैयार करना।

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के विभिन्न पहलुओं तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में साझा विचार विमर्श करना।

विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परियोजना कार्य, डिजिटेशन, तथा शोधपत्र आदि के लिए साझा सहयोग विकसित करना।

જેવણવ માતા શિક્ષા સમિતિ પના
સચિવ અંકુર ત્રિવેદી પના- રાનીભાગ પના
તલ્લો વ પિલા- પના (અ.પ.)

રાજ ~~કોમી~~ ગોતમ
મ્હામ ચિકીત્સા પના (પ.પ.)

10431

21/10/24

दोनों ही महाविद्यालयों के गुणवत्ता प्रकोष्ठ नैक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु एक दूसरे से अपने कार्यक्रमों, एजेंडा, बेस्ट प्रेक्टिसेस, विभिन्न प्रपत्रों के फॉरमेट आदि साझा करना।

दोनों संस्थाओं के छात्र एवं शिक्षक एक-दूसरे के संस्थानों की लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, लैब व अन्य सभी प्रकार की प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकेंगे। दोनों संस्थाओं के शिक्षक एवं छात्र शोध से संबंधित रिसर्च पेपर, वर्कशॉप एवं प्रोजेक्ट वर्क का आदान-प्रदान आपस में कर सकेंगे।

सहयोग का प्रकार-

दोनों संस्थानों के प्राध्यापक तथा शिक्षार्थी एक दूसरे के यहां शैक्षणिक भ्रमण कर सकेंगे। दोनों संस्थानों संयुक्त रूप से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।

वित्तीय दायित्व-

किसी भी कार्यक्रम/आयोजन के प्रस्ताव के समय ही वित्तीय दायित्वों के निर्धारण के बारे में विचार कर लिया जाएगा। संस्थानों द्वारा किया जाने वाला वित्तीय सहयोग पूर्णतया स्वैच्छिक होगा तथा यह किसी भी दूसरे पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होगा।

अवधि-

दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होने के दिन से यह समझौता ज्ञापन तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है। इसके पूर्व यह किसी भी पक्ष द्वारा तीस दिन की पूर्व सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

समन्वयक-

दोनों पक्ष अपने अपने संस्थान से एक समन्वयक नामित करेंगे जो इस समझौता ज्ञापन के लागू करने के बारे में उत्तरदायी होगा।

बौद्धिक संपदा अधिकार-

दोनों संस्थानों के साझा सहयोग से प्राप्त बौद्धिक संपदा पर दोनों संस्थानों का साझा अधिकार रहेगा।

हस्ताक्षर-

यह समझौता दोनों संस्थाओं के प्राचार्यों के मध्य आगामी बातचीत के उपरांत किया गया है तत्पश्चात अपने-अपने हस्ताक्षर कर समझौता ज्ञापन साझा करने के साथ ही एमओयू प्रभावशाली समझा जायेगा।

Prashmi
(प्रथम पक्ष)

डॉ. रश्मि सिंह

(प्राचार्य)

वैष्णव माता महाविद्यालय पन्ना (म.प्र.)

(द्वितीय पक्ष)

डॉ. एस.डी. चतुर्वेदी

(प्राचार्य)

पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

शासकीय छात्रसंस्कार संतकोत्तर

महाविद्यालय पन्ना (म.प्र.)

अवसल शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय पन्ना (म.प्र.)